UPSL070049502025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।
उपस्थितः आरती फौजदार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
(J.O. Code - UP6225)
विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 855/2025
कम्प्यूटर पंजीयन संख्या- 4188/2025

राज्य बनाम नीरज।
मु.अ.सं.- 1696/2022
धारा- 135 विद्युत अधिनियम,
थाना- ए.पी.टी., जिला- सम्भल।

14.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अभियुक्त अपस्थित है। अभियुक्त ने अपने जुर्म की स्वीकारोक्ति के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया।

प्र 01- क्या आपको विद्युत विभाग द्वारा चैक करने पर चोरी रोको अभियान के दौरान आप कटिया डालकर चोरी से विद्युत प्रयोग करते हुए पाये गये?
उत्तर-- **जी हां,**
प्र 02- क्या आप स्वेच्छया से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं?
उत्तर-- **जी हां,**
प्र 03- क्या आपको कुछ कहना है?
उत्तर-- **राजस्व एवं शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। कोई बकाया शेष नहीं है। अतः न्यूनतम दंड से दंडित किया जाए।**

विशेष न्यायाधीश ई 0 सी0 एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

अभियुक्त के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा प्रवर्तन टीम (विद्युत विभाग) द्वारा अधिरोपित विद्युत बकाया के संबंध मे अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड सम्भल द्वारा राजस्व निर्धारण 4056/-रूपये एवं शमन शुल्क 2000/-रूपये धनराशि को जमा करने की आख्या प्रस्तुत की गयी है तथा विद्युत बकाया के रूप में कोई भी देय शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को निम्न दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त **नीरज** को धारा 135 विद्युत अधिनियम के अपराध में मुव. 2100/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक- 14.07.2026

विशेष न्यायाधीश ई 0 सी0 एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

Digitally signed by ARTI FAUZDAR
Date: 2026.07.14 14:17:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court